कार्यालय महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दुमका।

Email ID- dicdumka12@gmail.com mob.- 8340295608

आज दिनांक 11.10.2019 को 01:00 बजे अप0 में अपर समाहर्त्ता, दुमका की अध्यक्षता में जिला उद्योग केन्द्र, दुमका अन्तर्गत Ease Of Doing Business के माध्यम से District Executive Committee की बैठक की गई, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी/सदस्य एवं उद्यमी उपस्थित हुएः–

1. उपायुक्त, दुमका – ह0/–
2. उप विकास आयुक्त, दुमका – ह0/–
3. अपर समाहर्त्ता, दुमका – ह0/–
4. क्षेत्रीय पदा0, प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय, दुमका – ह0/–
5. जिला खनन पदाधिकारी,दुमका – ह0/–
6. श्रम अधिक्षक, दुमका। – ह0/–
7. महाप्रवंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दुमका – ह0/–
8. जिला अग्रणी प्रबंधक, इलाहाबाद वैंक, दुमका – ह0/–
9. अध्यक्ष, चैम्वर ऑफ कॉमर्स, दुमका – ह0/–
10. सचिव, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दुमका – ह0/–
11. ई0ओ0डी0वी0 प्रवंधक, दुमका – ह0/–
12. सर्वश्री दुमका फुड प्रोडक्ट प्रा0लि0 वावुपुर, दुमका। – ह0/–
13. सर्वश्री शारदा माँ फुड प्रा0लि0, वावुपुर, दुमका। – ह0/–
14. सर्वश्री आधुनिक अक्षत उद्योग प्रा0लि0 वावुपुर, दुमका। – ह0/–

बैठक की कार्यवाहीः–

सर्वप्रथम महाप्रवंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दुमका के द्वारा अपर समाहर्त्ता एवं बैठक में उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों एवं संबंधित उपस्थित उद्यमियों का अभिनन्दन किया गया। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दुमका के द्वारा आज की बैठक हेतु एजेन्डा एवं प्रतिवेदन अपर समाहर्त्ता, दुमका के समक्ष उपस्थापित किया गया। तत्पश्चात् अपर समाहर्त्ता महोदय के आदेशानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

आज की बैठक में महाप्रवंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दुमका द्वारा जानकारी दिया गया कि वर्तमान में कुल 03 पुरानी समस्या है जो अभी भी विभागीय स्तर पर लंवित है, जो निम्नलिखित हैः–

क्र0	गत बैठक में उठाए गये प्रश्न	विभागीय समाधान
1	सर्वश्री दुमका फुड प्रोडक्टस प्रा0लि0 को आवंटित भूखण्ड NS-06(A) में अतिक्रमण से संबंधित मामला है और यह मामला वित 03 वर्षों से क्षेत्रीय उप निदेशक, जियाडा, संथाल परगना प्रक्षेत्र, देवघर में लंबित है।	अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रतिनियुक्त अमीन का मापी प्रतिवेदन अवलोकन किया गया। तत्पश्चात् यह निदेश दिया गया कि उद्यमी द्वारा जान बुझ कर मामला को उलझाकर रखा गया है तथा नियम विरूद्ध आवंटित करने हेतु आवेदन दिया है। जब कि क्षेत्रीय निदेशक, जियाडा, देवघर के पत्रांक 294 दिनांक 23.09.2019 के द्वारा सर्वश्री आधुनिक अक्षत उद्योग प्रा0लि0 को पत्र निर्गत की तिथि (23.09.2019) से 15 दिनों के अन्दर (08.10.2019) तक अतिकमित भूमि से अवैध निर्माण को हटा लेने का निर्देश दिया गया है। उस पत्र का अवलोकन किया गया। आज की समीक्षा बैठक में अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि सरकारी आदेश का अनुपालन करते हुए एक सप्ताह के अन्दर अवैध संरचना को अपने स्तर से हटा दें अन्यथा प्रशासन द्वारा दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल का सहयोग लेकर अवैध कब्जा को हटा दिया जायेगा। अवैध कब्जा हटाने में होने वाले सरकारी खर्च का वहन सर्वश्री आधुनिक अक्षत उद्योग प्रा0लि0 को करना होगा। साथ ही जितने दिनों से अवैध कब्जा किया गया है, उसपर जियाडा द्वारा Penalty में राशि जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया जाय।

14/10/19

Scanned by CamScanner

2	सर्वश्री शारदा माँ फुडस प्रा0लि0 इनका भी मामला 2016 से आवंटित भूखण्ड पर 11 KVA का पोल एवं विद्युत तार हटाने से संबंधित है।	इस मामले में क्षेत्रीय निदेशक, जियाडा द्वारा सचिव को पत्र लिखकर पोल हटाने में आने वाले खर्च के लिए राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है, परन्तु आवंटन अप्राप्त है।
3	अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दुमका के द्वारा मामला उठाया गया कि उन्होंने पेट्रोल पम्प के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए संबंधित विभाग (L.R.D.C, Dumka) में आवेदन दिया है परन्तु अभी तक NOC उपलब्ध नहीं कराया गया है। मामला विभागीय स्तर पर लंबित है।	एल0आर0डी0सी0, दुमका द्वारा बतलाया गया कि कुछ विन्दुओं का अनुपालन हेतु पुनः अंचल अधिकारी रामगढ के पास संचिका भेजी गई है जिसे वापस आने एवं संतोष प्रद पाये जाने पर NOC निर्गत कर दिया जायेगा।

पी0एम0ई0जी0पी0 संबंधित डी0एल0टी0एफ0सी0 की बैठक में अपर समाहर्त्ता महोदय द्वारा समीक्षा के कम में निदेश दिया गया कि वार्षिक लक्ष्य को त्रैमासिक लक्ष्य में विभक्त कर उसकी समीक्षा की जाय तथा आर0बी0आई0 द्वारा निर्धारित Guideline के आलोक में निर्धारित समय सीमा के अन्दर सभी आवेदन पत्रों को निष्पादन किया जाय ताकि लाभुकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

अध्यक्ष महोदय के द्वारा यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार के समस्या हेतु उद्यमी या व्यक्ति अपनी संबंधित समस्या लेकर सीधे तौर पर अपर समाहर्त्ता से मिल सकते है तथा संभव नियमानुकुल कार्रवाई कर समस्या निष्पादन करने का प्रयास किया जायेगा।

अन्त में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दुमका द्वारा अपर समहार्त्ता, दुमका एवं आज की बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों, सदस्यों एवं उद्यमियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

11/10/19

महाप्रबंधक
जिला उद्योग केन्द्र, दुमका।

11/10/19

अपर समाहर्त्ता,
दुमका।

ज्ञापांक.......................दिनांक............................../
प्रतिलिपि– सभी संबंधित पदाधिकारियों/सदस्यों को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महाप्रबंधक
जिला उद्योग केन्द्र, दुमका।

ज्ञापांक 564 दिनांक 11.10.19 /
प्रतिलिपि– उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, रॉची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

11/10/19

महाप्रबंधक
जिला उद्योग केन्द्र, दुमका।

Scanned by CamScanner